हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–55164-173 शिमला–171009 दिनांक 26.8.2020

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, हमीरपुर, के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला हमीरपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर, को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन को घोषित करने के बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क0 सं0	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगे	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
विकास खण्ड भोरन्ज							
1	टिक्करी मिन्हासां	1.टिक्करी मिन्हासां	1.लदेहड़ा	लुद्दर महादेव	1. लझवाणी	1.टिक्करी मिन्हासां	

		2.सुंगरवाड़	2.टिक्करी घुरालां		2. बगवाड़	2.सुंगरवाड़	
		3.खतरवाड़			3.लदेहड़ा	3.खतरवाड़	
		4.पिदड़ता			4.टिक्करी घुरालां	4.पिदड़ता	
		5.बस्सी हज़मा			5.डूहका	5.बस्सी हज़मा	
		6.लदेहड़ा			6.झण्डवीं चांगरियां		
		7.टिक्करी घुरालां			7.छत्र खुर्द		
					8.बल्ही		
					9.खतनाल		
					10.भजलाह		
					11.छत्रकलां		
विकास खण्ड बमसन							
2	जन्दड़ू	1.ठाणा	1.कुडवां दी धार	चारियां दी धार	1 भराईयां दी धार	1.ठाणा	
		2.ठाणा टिक्कर			2 जट्टा दी धार	2.ठाणा टिक्कर	
		3.जन्दड़ू			3 चारियां दी धार	3.जन्दड़ू	
		4.सुखाणी			4 रांगड़ियां दी धार	4.सुखाणी	
		5.हिन्दो दी धार			5 पुर्ली	5.हिन्दो दी धार	
		6.कुड़वां दी धार			6 लम्बरां दी धार		
					7 रोपड़ी		
					8 कुडवां दी धार		
विकास खण्ड नादौन							
3	फाहल	1. फाहल खास	1. कड़साई	सरेड़ी	1. कड़साई	1. फाहल खास	
		2.प्लासी			2.सरेड़ी	2.प्लासी	
		3.खुंगण			3.अमरोह	3.खुंगण	
		4.टीहरी			4.पपलाह	4.टीहरी	
		5.दसवीं			5.कुठेड़ा	5.दसवीं	
		6.झरमाणी			6.बाहल	6.झरमाणी	

		7.कड़साई			7.अगथान	7.फाहल	
		8.फाहल			8.ढगोह		
					9.कलोह		
4	नादौन	1 नियाल	फर–नाहट	कलूर	1 कलूर–1	1 नियाल	
		2 कूं दी भून			2 कलूर–2	2 कूं दी भून	
		3 पुखरी पलाखर			3 मावलाघाट	3 पुखरी पलाखर	
		4 अम्लेहड़			4 गरनी	4 अम्लेहड़	
		5 भावरन			5 फर–नाहट	5 भावरन	
		6 फर–नाहट					

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019–55164-173 शिमला–171009 दिनांक 26.8 ,2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।